FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी

संकल्प हमारा

प्रेस नोट दिनाँक 02-11-2026 पुलिस मुठभेड़ थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा एवं श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निकट पर्यवेक्षण में थाना खैरगढ़ पुलिस टीम, थाना मक्खनपुर पुलिस टीम एवं एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 01-11-2026 को थाना खैरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने व जानलेवा हमला कारित करने से संबंधित अभियुक्तगण ऋषि पुत्र इनाम सिंह व जगत पुत्र इनाम सिंह को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।

- **पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तगण ऋषि व अभियुक्त जगत पैर में गोली लगने से हुए घायल।**
- **अभियुक्त ऋषि पुत्र इनाम सिंह निवासी नगला सकटू थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद द्वारा पीडिता के साथ किया गया था दुष्कर्म।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 स्प्लेंडर प्लस मोटर साइकिल बिना नम्बर एवं पीडिता का सैमसंग का कीपैड मोबाइल बरामद।**
- **घायल अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती।**

दिनांक 01-11-2026 को थाना खैरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत एक युवती खेतों में घायलावस्था में मिली थी, जिसे उपचार हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के संबंध में पीडिता के पिता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना खैरगढ़ पर मु0अ0सं0 231/26 धारा 109,137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीडिता के साथ दुष्कर्म होंने सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त होंने पर उक्त अभियोग में धारा 109 बीएनएस का लोप कर धारा 109(1),70(2) बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी एवं घटना में 03 अभियुक्तगण प्रकाश में आये। अभियुक्त ऋषि पुत्र इनाम सिंह निवासी नगला सकटू थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म किया गया था।

इसी क्रम में उक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा, जोन आगरा महोदय व श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा महोदय के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निकट पर्यवेक्षण में 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 02-11-2026 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि घटना से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्तगण ऋषि व जगत पुत्रगण इनाम सिंह निवासीगण नगला सकटू, नगला रमिया से हाइवे की तरफ जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर थाना खैरगढ़ पुलिस टीम, थाना मक्खनपुर पुलिस टीम, एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा नगला राघौल के पास चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक संदिग्ध मोटर साइकिल आती हुई दिखाई दी, पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटर साइकिल को रूकने का इशारा किया गया किन्तु संदिग्ध मोटर साइकिल सवारों द्वारा पुलिस टीम को देखकर मोटर साइकिल वापस

मोड़कर भागने लगे, जिससे मोटरसाइकिल फिसल गयी, पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मोटर साइकिल सवारों की घेराबंदी की गयी। संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों द्वारा स्वयं को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किये गये। पुलिस टीमों द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जबावी कार्यवाही में दोनों अभियुक्तगण पैर में गोली लगने से घायल हो गये। घायल अभियुक्तगण की पहचान थाना खैरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/26 धारा 109(1),137(2), 70(2) बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्तगण ऋषि पुत्र इनाम सिंह एवं जगत पुत्र इनाम सिंह निवासीगण ग्राम सकटू थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद के रुप में हुई है। पूछताछ में अभियुक्त ऋषि द्वारा बताया कि पीडिता से मेरा करीब पिछले छः माह से बातचीत व मिलना होता था। दिनांक 31-10-2026 की रात्री को मैने पीडिता को खेतों पर बुलाया था, जहां पर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की जिसके विरोध करने पर मेरे द्वारा डराने व धमकाने हेतु गला दबाया गया जिसके बेहोश होंने पर मैं उसे डर के कारण मौके से छोडकर भाग गया था। अभियुक्त ऋषि के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, पीडिता का सैमसंग का कीपैड मोबाइल व 01 स्प्लेंडर प्लस मोटर साइकिल बिना नम्बर एवं अभियुक्त जगत से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण -

1. ऋषि पुत्र इनाम सिंह निवासी ग्राम सकटू थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
2. जगत पुत्र इनाम सिंह निवासी ग्राम सकटू थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण -

1. 02 अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 03 खोखा कारतूस 315 बोर।
4. 01 स्प्लेंडर मोटर साइकिल।
5. एक सैमसंग कीपैड मोबाइल (पीडिता का)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ऋषि उपरोक्त –

01. मु0अ0सं0 154/26 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
02. मु0अ0सं0 231/26 धारा 109(1),137(2), 70(2) बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट थाना खैरगढ जनपद फिरोजाबाद।
03. मु0अ0सं0 232/2026 धारा 109(1) पु0मु0 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जगत उपरोक्तः---

1-मु0अ0सं0 231/26 धारा 109(1),137(2), 70(2) बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट थाना खैरगढ जनपद फिरोजाबाद।

2-मु0अ0सं0 232/2026 धारा 109(1) पु0मु0 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

01. निरीक्षक श्री प्रेम शंकर पाण्डेय प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद फिरोजाबाद।
02. निरीक्षक श्री मुकेश कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद फिरोजाबाद।
03. श्री प्रवीण कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
04. श्री चमन कुमार शर्मा थानाध्यक्ष थाना मक्खनपुर मय टीम जनपद फिरोजाबाद।
05. उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
06. आ0 1480 अजय कुमार थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
07. आ0 1791 सचिन थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।